र सीआरपीसी के मूड में

सभा पहुंचकर 'ना पक्ष

की संपूर्ण कर्ज माफी और नून' निरस्त करने की मांग सदन के भीतर धरना दिया। साथ निर्दलीय विधायक डा शर्मा, नंदकिशोर महरिया, नीवाल, बसपा के मनोज हैं।

ने किसानों के मुद्दे पर सुंधरा राजे को आड़ हाथों हा है कि मुख्यमंत्री किसानों विश्वासघात कर रही है। किसानों से समझौता कर

- किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करे सरकार : पायलट
- 'सरकार नहीं मानी तो बड़ा जनांदोलन'

हाईपावर कमेटी बनाकर 50 हजार रूपये तक का कर्जा माफ करने का आश्वासन दिया है। लेकिन प्रदेश में लाखों किसान हैं जिन पर लाखों का कर्जा है और इसके लिए नोटबंदी, फसल बीमा योजना की विफलता, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना, बीमा कंपनियों का चक्रव्यूह जैसे बडे कारण जिम्मेदार हैं। इनके बोझ से किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करना चाहिए।

डूडी ने 'काला कानून' के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा है कि सरकार ने इस बेतुके अध्यादेश को प्रवर समिति में भेजा है जो कि सारहीन है जबकि यह अलोकतांत्रिक अध्यादेश पूरी तरह से निरस्त होना चाहिए। डूडी ने मुख्यमंत्री को भी नसीहत दी है कि वे दागी अफसरों के मकड़जाल से बाहर निकले और प्रदेश के हित में सही दिशा में फैसले ले।

'क्यों नहीं किया पुनः परीक्षण?'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अन्य पिछडा वर्ग की सूची का पुनः परीक्षण नहीं करने पर केबीनेट सचिव पीके सिंहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग चैयरमेन, मुख्य सचिव अशोककुमार जैन, अतिरिक्त मुख्य सामाजिक न्याय सचिव जेसी मोहंती और राज्य पिछडा वर्ग आयोग के चैयरमेन जेआर गोयल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मूलसिंह व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता शोभित तिवाडी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 10 अगस्त 2015 को जाट आरक्षण का फैसला देते हुए केन्द्र व राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि वह किसी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल करने या निकालने के संबंध में लंबित आपत्तियों से प्रभावित हुए बिना केन्द्र व राज्य की ओबीसी सूची का अध्ययन करें और आंकडे एकत्रित कर उनका पुनः परीक्षण करे।

याचिका में कहा गया कि इस आदेश की पालना नहीं की गई है। केन्द्र की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में गुजरात व पंजाब हाईकोर्ट में मामला लंबित है। वहीं राज्य सरकार ने अब तक ऐसी समीक्षा करने से इंकार कर दिया।

रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः पोस्ट बॉक्स नं. 73, गाँव कानपुर, उदयपुर–313003
CIN : L40102RJ1977PLC001994
फोन : : 0294-2490488
वेबसाईट : www.reliancechemotex.com, ईमेल : Finance.udaipur@reliancechemotex.com

नोटिस

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए नोटिस)

विषय : कंपनी निवेशक शिक्षा संरक्षण फंड (आईईपीएफ) प्राधिकरण के इक्विटी शेयरों का स्थानांतरण

यह नोटिस 07.09.2016 से प्रभावी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम 2016 (नियम) के अनुसार प्रकाशित किया गया है और 28.02.2017 को संशोधित किया गया है (सामूहिक रूप से नियम कहा जाता है)

अन्य मामलों के बीच नियम, जिसमें सभी शेयरों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान है, जिसमें निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के नाम पर सात वर्षों से या उससे अधिक तक शेयरधारकों द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या उनका दावा नहीं किया गया है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने 1 अगस्त 2017 के पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर संबंधित शेयरधारकों को सूचित किया है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकरण के लिए स्थानांतरित किए जाने के लिए जिम्मेदार हैं। आईईपीएफ प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान उचित कार्रवाई करने के लिए आईईपीएफ के नियमों के अनुसार स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार शेयरों के संबंध में 1 नवंबर 2016 का एक संवाद, संबंधित शेयरधारकों को पहले ही भेजा गया है। कंपनी ने इस तरह के शेयरधारकों और शेयरों का पूरा विवरण अपलोड किया है, जिस पर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की वेबसाइट www.reliancechemotex.com पर है। शेयरधारक से अनुरोध है कि वे वेब लिंक को संदर्भित करने के लिए http://www.ril.com/InvestorRelations/ShareholdersInformation.aspx को अप्रतिबंधित लाभांश के विवरण सत्यापित करने के लिए और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार शेयर शेयरधारक यह ध्यान रख सकता है कि ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों सहित, बिना किसी दावा वाले लाभांश और शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को सौंप दिया गया है, यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है तो नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बाद। भौतिक रूप में संबंधित शेयरधारक धारण शेयर और जिनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते को हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी हैं, यह ध्यान रख सकता है कि कंपनी डीमैटेरियलाइजेशन और शेयरों के हस्तांतरण के लिए उनके द्वारा आयोजित मूल शेयर प्रमाण पत्र के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी कर देगी नियमों के मुताबिक आईईपीएफ सस्पेंस अकाउंट और इस तरह के मुद्दे पर मूल शेयर प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत है, स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और गैर–परक्राम्य समझा जाएगा। शेयरधारक आगे ध्यान दे सकता है कि वेबसाइट पर कंपनी द्वारा अपलोड की गई जानकारी को माना जाना चाहिए और आईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाएगा। अगर कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 31.10.2017 तक कोई सूचना नहीं मिली है या ऐसी अन्य तिथियां जो कंपनी को बढ़ा दी जा सकती हैं, तो नियमों में निर्धारित की गई आवश्यकता के अनुरूप एक दृश्य के साथ, आईआईपीएफ सस्पेंस अकाउंट ।

यदि शेयरधारक के पास विषय और नियमों पर कोई प्रश्न हैं तो वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट बिग शेर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ई /2/3, एन्सा इंडस्ट्रियल एस्टेट, साकी विहार रोड, साकी नाका, अंधेरी–ई, मुंबई–400072, 022–40230200, 2847, 0652 और श्री विमल टांक, कंपनी सचिव गाँव कानपुर, उदयपुर 0294–249488 ईमेल finance.udaipur@reliancechemotex.com

स्थानः उदयपुर
दिनांकः 24.10.2017

वास्ते रिलायंस केमोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
विमल टाँक
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड

RIICO GROW WITH RAJASTHAN

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005, फोन : 0141–2227751, 5113201 फैक्स : 0141–2104804
Email : riico@riico.co.in website : www.riico.co.in

नीलामी हेतु विज्ञप्ति

रीको औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के भूखण्डों की नीलामी हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है:–

इकाई कार्यलय	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड का प्रयोजन	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर (रू. प्रति व.मी.)	धरोहर राशि (रूपये)	बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान व बैंक का विवरण
ईपीआईपी नीमराना अलवर	नीमराना–।।	व्यावसायिक निर्मित कियोस्क	K-5, K-6, K-7 K-8 (4 Nos.)	9 (Each)	100000 (Each)	45000 (Each)	15.11.2017 सांय 02.00 बजे तक, कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि0, ईपीआईपी नीमराना। 1- Name of Bank: SBI Bank A/C No. 61076344360 IFSC Code: SBIN0031796 2- Name of Bank: Axis Bank A/C No. 914020038328385 IFSC Code: UTIB0002113
	ईपीआईपी नीमराना	व्यावसायिक निर्मित कियोस्क	K-1	4.51	400000 (Total Cost)	20000	
		व्यावसायिक निर्मित कियोस्क	K-2	4.90	300000 (Total Cost)	15000	
	एन.आई.सी. (एम)	व्यावसायिक	COM-136(Corner)	2766	30000	4149000	
			CP-179 (Corner)	50	50000	125000	
	बहरोड़	व्यावसायिक	S1-20(B)	18.00	50000	45000	
	सोतानाला	धर्मकांटा	WB-1	1011	4700	237585	
	केशवाना (कोटपुतली)	औद्योगिक	SP-22	10710	2550	1365525	
			SP-23	10724	2550	1367310	
			SP-16	35057	2500	4382125	
ईपीआईपी बोरानाड़ा (जोधपुर)	बोरानाड़ा औद्योगिक पार्क, बोरानाड़ा	औद्योगिक	G-177(Corner)	2518	8800	1107920	बिड दिनांक 24.11.2017 को दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त कर तथा उसी दिन को दोपहर 04.00 बजे कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लि..
			F-195(Corner)	4208.75	8800	1851850	
			E-209(Corner)	5600	8800	2464000	
	बोरानाड़ा चतुर्थ चरण, बोरानाड़ा	औद्योगिक	H1-965	596	9000	268200	
			H1-966	597	9000	268650	